न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी – पंकज बडगूजर(RAS)

दावा संख्या	रजु दिनांक	निर्णय दिनांक
253/2019	14.08.2019	14.06.2022

अनुवान

1. अनिल कुमार
2. विजय कुमार पुत्रान कौशल किशोर जातियान ब्राह्मण निवासीयान चाँदपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0

– वादीगण

बनाम

1. वेदप्रकाश
2. देवप्रकाश पुत्रान मदनलाल
3. अनिता पुत्री मदनलाल जातियान ब्राह्मण निवासीयान हजूरी गेट बुर्जा हाऊस शिव मन्दिर के पास महल चौक अलवर जिला अलवर राज0
4. विशम्बरदयाल पुत्र प्रभूदयाल जाति अहीर निवासी चाँदपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0
5. श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान
6. श्रीमान सबरजिस्ट्रार महोदय, मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

– प्रतिवादीगण

7. कौशल किशोर
8. पूनमचन्द
9. कृष्ण कुमार पुत्रान रामजीलाल
10. प्रवीण पुत्र राजेन्द्र पौत्र रामजीलाल
11. श्यामा देवी पत्नी राजेन्द्र पुत्रवधु रामजीलाल जातियान ब्राह्मण निवासीयान चाँदपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0

[illegible]0 प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.07.05 13:34:51 IST
Reason: SelfAttested

दावा– इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज
बम्य हु0 इ[illegible]वामी

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

उपस्थितिः– श्री रणवीर सिंह यादव अधिवक्ता – वादीगण

श्री अनिल यादव द्वितीय अधिवक्ता – प्रतिवादी सं0 4

–: निर्णय :–

दिनांक :– 14.06.2022

आज यह पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुयी। वकील उभयपक्षकारान उपस्थित आये। वादीगण के वाद का सारतः रहा कि हाल आराजी ख0न0 1826 रकबा 0.03 है0 सालिम व आराजी ख0नं0 1683 रकबा 0.09 है0, 1684 रकबा 0.12 है0 का 1/4 भाग व आराजी ख0नं0 2063 रकबा 0.01 है0 का 1/2 भाग वाके ग्राम चाँदपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0 में स्थित होकर ख0नं0 1826 सालिम वादीगण व तर0 प्रतिवादीगण के पूर्वजों की खातेदारी में एवं ख0नं0 1683 व 1684 का 1/4 भाग असल प्रतिवादीगण सं0 1 लगा0 3 के पूर्वजों की सहखातेदारी में तथा ख0नं0 2063 रकबा 0.01 है0 का 1/2 भाग प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 के दादा यादराम पुत्र गंगासहाय के नाम वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज है। इसलिये ख0नं0 2063 से राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादीगण के दादा यादराम का नाम हजफ किया जाकर वादीगण के नाम अंकन किया जावे यादराम फौत हो चुका है। जिसकी विरासत प्रतिवादी सं 0 01 लगा0 03 के पिता मदनलाल व बाबूलाल के नाम अन्य आराजीयात के साथ दर्ज हो चुकी है। ख0नं0 2063 में विरासत दर्ज नहीं हुई है। तद् अनुरूप ख0नं0 1826 सालिम व ख0नं0 1683, 1684 का 1/4 भाग व ख0नं0 2063 का 1/2 भाग उक्त वाद में विवादित आराजी कहलायेगी। जमाबन्दी हाल संलग्न वादपत्र है।

वाके ग्राम चाँदपुर की आराजी ख0नं0 1826 वादीगण व तर0प्रतिवादीगण के पूर्वजों के उपयोग उपभोग एवं एकल खातेदारी में रही है और वाके ग्राम चाँदपुर के ख0नं0 1683/0.09 है0, 1684/0.12 है0 का 1/4 भाग व 2063/0.01 है0 का 1/2 भाग असल प्रतिवादीगण सं0 1 लगा 3 के पूर्वजों के कब्जेकाश्त [illegible] यादराम लावल्द फौत हो गया है व मदनलाल भी फौत हो गया है [illegible]लाल की विरासत प्राप्त करने के अधिकारी असल प्रतिवादीगण सं0 1 लगा0 3 के पिता [illegible]लाल ही थे तथा विवादित आराजी में अंकित रामजीलाल व लक्ष्मीनारायण भी फौत हो चुके है। जिनके

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.07.05 13:34:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

वारीसान वादी व तर0प्रतिवादीगण है। आराजी ख0नं 1826 में मूलचन्द पुत्र जगराम का 1/3 भाग वादीगण को जरिये हिब्बानाम प्राप्त हो चुका है। वादीगण को मूलचन्द का समस्त आराजीयात में शेयर जरिये हिब्बानामा प्राप्त हुआ है। दोनो पक्षों के पूर्वजों ने करीब 80 साल पूर्व भूमि की चकबन्दी के तहत ख0नं0 1826 जो वादीगण तर0प्रतिवादीगण की खातेदारी का रहा है, को ख0नं0 1683, 1684 में असल प्रतिवादीगण सं0 1 लगा 3 के 1/4 भाग सम्पूर्ण ख0नं0 2063 के 1/2 भाग सम्पूर्ण हिस्सा से आपसी सहमति से विनिमय कर आपस मे कब्जा अदल बदल कर लिया था। तब से ही पूर्वज उभयपक्षकारान बतौर विनिमय के बदस्तूर कायम काबिज होकर पीढी दर पीढी उपयोग उपभोग करते आ रहे है। वादीगण व तर0प्रतिवादीगण की आराजी ख0नं0 1826 रकबा 0.01 है0 ग्राम की आबादी से लगती हुई स्थिति है तथा प्रतिवादीगण की आराजी आबादी से दूर की आराजी रही है। जो आराजीयात की कीमतन अनुसार ही उभयपक्षकारान का विनिमय किया हुआ है। असल प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 के पूर्वज पिता ने विनिमय से प्राप्त वादीगण व तर0प्रतिवादीगण की खातेदारी आराजी ख0नं0 1826 का बतौर विनिमय काबिज व उपयोग और उपभोग लेते हुये असल प्रतिवादी 4 को हस्तान्तरण कर बेचान कर कब्जा करा दिया था एवं असल प्रतिवादीगण सं 4 में उक्त ख0नं0 1826 पर चारदीवारी कर रिहायसी मकान बनाकर रिहायस कर ली है। बेचान के दस्तावेजात की जानकारी वादीगण को नहीं है। असल प्रतिवादीगण सं0 1 लगा के पिता मदनलाल की मृत्यु तक उक्त आराजीयात में असल प्रतिवादीगण के हिस्से बाबत कोई विवाद नहीं था जिस कारण राजस्व रिकॉर्ड में अमल कराने की आवश्यकता नहीं पडी किन्तु अब उक्त खसरा नम्बरान के हिस्से को असल प्रतिवादीगण सं0 01 लगा0 03 अन्य लोगो को हस्तान्तरण करने को उतरू हो गये तो वादीगण ने उनसे उक्त आराजी उनके हिस्से का विनिमय पत्र कराने बाबत कहा तो असल प्रतिवादीगण टालम टोल कर रहे है। क्योकि उन्होने उक्त [illegible] आराजीयात के बदले (विनिमय) में प्राप्त वादीगण व तरप्रतिवादीगण की [illegible] 1826 सम्पूर्ण का असल प्रतिवादीगण सं0 4 को हस्तान्तरण कर बडी राशि लेकर बेचान कर पक्के मकान बनवा दिये अब उनका हित व रूचि खत्म हो गई तथा विनिमय कराने से गुरेज कर रहे है। अतः उक्त आराजी ख0नं0 1683, 1684 का 1/4 भाग व आ0ख0न0 2063 का

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.07.05 13:34:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

1/2 भाग वाके ग्राम चाँदपुर में वादीगण व तर0प्रतिवादीगण विनिमय के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी है तथा इसके विपरीत आ0ख0नं0 1826 खातेदारी का बदले में विनिमय के आधार पर असल प्रतिवादी सं0 1 लगा 3 को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे आदि–आदि का निवेदन करते हुये वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण असल डिक्री फरमाया जाकर आ0ख0नं0 1826/0.03 है0 वाके ग्राम चाँदपुर पर असल प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 के नाम एवं आ0ख0नं0 1683/0.09 है0, 1684/0.12 है0 का 1/4 भाग व ख0नं0 2063/0.01 है0 का 1/2 भाग वाके ग्राम चाँदपुर के बाबत वादीगण को 1/3 भाग संभाग में व तर0प्रतिवादीगण स0 7 लगा0 11 को संभाग में 1/3 भाग एवं तर0प्रतिवादी सं0 12 को 1/3 भाग का विनिमय के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं इसी कदर ख0नं0 1683/0.09 है0, 1684/0.012 है0 के 1/4 भाग वाके ग्राम चाँदपुर के बाबत राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे मदनलाल व बाबूलाल के नाम के अंकन को व ख0नं0 2063/0.01 है0 के 1/2 भाग वाके ग्राम चाँदपुर के बाबत राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे यादराम पुत्र गंगासहाय के नाम के अंकन को कलमजन किये जाकर वादीगण व तरप्रतिवादीगण के नाम अंकित किये जाने के आदेश फरमाये जावे एवं प्रतिवादीगण असल को हु0ईदवामी से पाबन्द किया जावे कि वे उक्तानुसार विवादित आराजीयात को दीगर जगह रहन बैय आदि से मुन्तकिल करें, न ही वादीगण के कब्जे काश्त एवं उपयोग, उपभोग में मजाहमत पैदा ना करें, का निवेदन रहा।

प्रकरण दार्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधियत तलबी प्रतिवादीगण सं0 1, 2, 3, 6 के अनुपस्थित रहने की स्थिति में उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा प्रतिवादी सं0 4 की ओर से जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। मुताबिक जवाब दावा वादीगण के दावा को अस्वीकार करते हुये जवाब दावा का सारतः रहा कि मुताबिक ... वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वजों को आराजी के बदले आराजी दे दी गई थी बाकि जिम्मन मेरी जानकारी में नहीं है क्योकि प्रतिवादीगण सं0 1, 2 3 द्वारा बदले में दी गई आराजी 0.25 है0 बन रहा। है बाकि जिम्मन मेरी जानकारी के अभाव में गलत है। मिन प्रतिवादी सं0 4 में उक्त आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.07.05 13:34:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 के पिता मदनलाल से दिनांक 24.10.1991 में खरीद की थी वक्त खरीद से मिन प्रतिवादी सं0 4 उक्त आराजी पर अपने रिहायसी मकानात बनाकर उपयोग उपभोग कर रहा है। वादी मिन प्रतिवादी सं0 4 को हु0ई0दवामी के किसी भी अनुतोष से पाबन्द कराने के अधिकारी नहीं है आदि–आदि अंकित करते हुये वादीगण का वादपत्र काबिल खारिज है मय हर्जा–खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन रहा।

वादीगण ने अपने वादपत्र की ताईद में दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप आ0ख0नं0 1826 बाबत नकल जमाबन्दी संवत 2070–73 प्रदर्श–1 एवं आ0ख0नं0 1683, 1684 व 2063 बाबत नकल जमाबन्दी संवत 2070–73 किता 3 प्रदर्श–2 एवं छायाप्रति इन्तकाल सं0 360 वाक ग्राम चाँदपुर पेश किये जो शामिल पत्रावली है एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र विजय कुमार पी.डब्ल्यू. 1, अनिल कुमार पी.डब्ल्यू. 2 एवं योगेश कुमार पुत्र हुकमसिंह अहीर शपथ पत्र पी.डब्ल्यू. 3, कृष्ण कुमार पुत्र रामसिंह अहीर पी.डब्ल्यू. 4 पेश किये जो शामिल पत्रावली है तथा वकील प्रतिवादी ने जिरह साक्ष्यवादी नहीं करने तथा साक्ष्य प्रतिवादी प्रस्तुत नहीं करने का निवेदन करते हुये सहमति स्वरूप अपने हस्ताक्षर किये।

: वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई दौराने बहस वकील वादी ने अपने वादपत्रों के जिम्मनों को दौहराते हुये पत्रावली में प्रस्तुत दसवेजात एवं मौखिक साक्ष्य यथा शपथ पत्रों को दौराते हुये वकील प्रतिवादी द्वारा जिरह साक्ष्यवादी नहीं किये जाने एवं साक्ष्यप्रतिवादी स्वरूप कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किय जाने एवं प्रतिवादी सं0 4 जवाब अनुसार वादीगण द्वारा वादपत्र में अंकित किये गये विनिमय के बाबत को स्वीकार किया जाना एवं जिसके मुताबिक भूमिगत रूप से वादीगण के वादपत्र को वादीगण की ताईद ही कर दिये जाने के आधार पर वादीगण एवं तर0प्रतिवादीगण के पूर्वजों द्वारा उनकी आ0ख0नं0 1826 रकबा 0.03 है0 सालिम वाके ग्राम चाँदपुर की जो आबादी के नजदीक लगती हुई है का विनिमय प्रतिवादीगण सं0 1 लगा. 3 के पूर्वजो से आ[illegible]683/0.09 है एवं 1684/0.12 है0 के 1/4 भाग सम्पूर्ण वाके [illegible] है0 कुल 1/2 भाग सम्पूर्ण वाके ग्राम चाँदपुर का करीब 80 सा[illegible] चकबन्दी के तहत वादीगण की आराजी जो आबादी के नजदीक होकर अधिक कीमत क[illegible]भूमि का किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.07.05 13:34:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

गया विनिमय एवं वादीगण के पूर्वजो से प्रतिवादीगण सं0 1 लगा0 3 के पूर्वजों द्वारा विनिमय के तहत प्राप्त आ0ख0नं0 1826 सम्पूर्ण को अदला बदली कर उपयोग उपभोग मे लेते हुये असल प्रतिवादी सं0 4 को हस्तान्तरण कर प्रतिवादी सं0 4 को बेचान कर कब्जा करा दिये जाने एवं प्रतिवादी सं0 4 द्वारा बाद खरीद पक्के मकानात बनाकर रिहायस कर लिये जाने का निवेदन करते हुये आ0ख0न0 1826/0.03 है0 वाके ग्राम चाँदपुर पर असल प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 के नाम एवं आ0ख0नं0 1683/0.09 है0, 1684/0.12 है0 के 1/4 भाग व ख0नं0 2063/0.01 है0 का 1/2 भाग वाके ग्राम चाँदपुर के बाबत वादीगण को 1/3 भाग संभाग में व तर0प्रतिवादीगण सं0 7 लगा0 11 को संभाग में 1/3 भाग एवं तर0प्रतिवादी सं0 12 को 1/3 भाग का विनिमय के आधार पर खातेदर काश्तकार घोषित किया जावे एवं इसी कदर ख0नं0 1683/0.09 है0, 1684/0.012 है0 के 1/4 भाग वाके ग्राम चाँदपुर के बाबत राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे मदनलाल व बाबूलाल के नाम के अंकन को व ख0नं0 2063/0.01 है0 के 1/2 भाग वाके ग्राम चाँदपुर के बाबत राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे यादराम पुत्र गंगासहाय के नाम के अंकन को कलमजन किये जाकर वादीगण व तर0प्रतिवादीगण के नाम उक्तानुसार अंकित किये जाने का अभिकथन किया एवं वकील प्रतिवादी सं0 4 ने केवल मात्र अपने जवाब दावे को ही बहस स्वरूप ही पढा जावे का अभिकथन किया।

वकील उपभयपक्षकारान की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई तथा पत्रावली एवं पत्रवाली में प्रस्तुत दस्तावेज का गहनता से अवलोकन उपरान्त वादीगण का आराजी ख0नं0 1826/0.03 है0 जो नजदीक आबादी की भूमि होकर तथा प्रतिवादी सं0 4 द्वारा भी अपने जवाब दावा में खरीदशुदा उक्त रकबे पर अपने मकानात बनाकर रिहायस कर लिये जाने के अंकन के आधार पर अधिक कीमतन भूमि मानते हुये प्रतिवादीगण द्वारा बदले में वादीगण को दी गई भूमि के समान कीमतन साबित नहीं होने से वादीगण के अपने वादपत्र को सुसंगत दस्तावेजात के माध्यम से स्पष्ट रूप साबित कर दिये जाने की स्थिति में यह न्यायालय वादीगण के वाद को स्वीकार योग्य पाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.07.05 13:34:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

–:आदेश:–

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण द्वारा अपने वादपत्र को सुसंगत दस्तावेजात से साबित कर दिये जाने पर वाद वादीगण स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में वादीगण के वाद में अंकित आराजी ख0नं0 1826/0.03 है0, 1683/0.09 है0, 1684/0.12 है0 एवं 2063/0.01 है0 वाके ग्राम चाँदपुर के बाबत के विनिमय के बाबत के वाद को स्वीकार किया जाता है एवं आ0ख0नं0 1826/0.03 है0 वाके ग्राम चाँदपुर पर असल प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 के नाम एवं आ0ख0नं0 1683/0.09 है0, 1684/0.12 है0 के 1/4 भाग व ख0नं0 2063/0.01 है0 का 1/2 भाग वाके ग्राम चाँदपुर के बाबत वादीगण को 1/3 भाग संभाग में व तर0प्रतिवादीगण सं0 7 लगा0 11 को संभाग में 1/3 भाग एवं तर0प्रतिवादी सं0 12 को 1/3 भाग का विनिमय के आधार पर खातेदर काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे एवं इसी कदर ख0नं0 1826/0.03 है0 वाके ग्राम चाँदपुर के बाबत हाल राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे वादीगण एवं तर0प्रतिवादीगण के पूर्वज रामजीलाल, लक्ष्मीनारायण पि0 जगराम संभाग 2/3 एवं वादीगण अनिल कुमार, विजय कुमार पि0 कौशल किशोर 1/3 भाग के नाम नाम से हो रहे अंकन को कलमजन किये जाने एवं ख0नं0 1683/0.09 है0, 1684/0.012 है0 के 1/4 भाग वाके ग्राम चाँदपुर के बाबत राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे मदनलाल व बाबूलाल के नाम के अंकन को व ख0नं0 2063/0.01 है0 के 1/2 भाग वाके ग्राम चाँदपुर के बाबत राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे यादराम पुत्र गंगासहाय के नाम के अंकन को कलमजन किये के आदेश दिये जाते हैं। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 14.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर, खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.07.05 13:34:51 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज बड़गूजर)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी – पंकज बडगूजर(RAS)

दावा संख्या	रजु दिनांक	निर्णय दिनांक
253/2019	14.08.2019	14.06.2022

अनुवान

1. अनिल कुमार
2. विजय कुमार पुत्रान कौशल किशोर जातियान ब्राह्मण निवासीयान चाँदपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0

– वादीगण

बनाम

1. वेदप्रकाश
2. देवप्रकाश पुत्रान मदनलाल
3. अनिता पुत्री मदनलाल जातियान ब्राह्मण निवासीयान हजूरी गेट बुर्जा हाऊस शिव मन्दिर के पास महल चौक अलवर जिला अलवर राज0
4. विशम्बरदयाल पुत्र प्रभूदयाल जाति अहीर निवासी चाँदपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0
5. श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान
6. श्रीमान सबरजिस्ट्रार महोदय, मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

– असल प्रतिवादीगण

7. कौशल किशोर
8. पूनमचन्द
9. कृष्ण कुमार पुत्रान रामजीलाल
10. प्रवीण पुत्र राजेन्द्र पौत्र रामजीलाल
11. श्यामा देवी पत्नी राजेन्द्र पुत्रवधु रामजीलाल [illegible] चाँदपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.07.05 13:34:51 IST
Reason: SelfAttested

– [illegible] प्रतिवादीगण

दावा– इस्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज बम्य हु0 ई0 [illegible]मी

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

उपस्थिति :– श्री रणवीर सिंह यादव अधिवक्ता – वादीगण

श्री अनिल यादव द्वितीय अधिवक्ता – प्रतिवादीगण सं0 4

–: पर्चा डिक्री :–

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री रणवीर सिंह यादव की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 14.06.2022 को पंकज बडगूजर उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

आराजी ख0नं0 1826/0.03 है0, 1683/0.09 है0, 1684/0.12 है0 एवं 2063/0.01 है0 वाके ग्राम चाँदपुर के बाबत के विनिमय के बाबत के वाद को स्वीकार किया जाता है एवं आ0ख0नं0 1826/0.03 है0 वाके ग्राम चाँदपुर पर असल प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 के नाम एवं आ0ख0नं0 1683/0.09 है0, 1684/0.12 है0 के 1/4 भाग व ख0नं0 2063/0.01 है0 का 1/2 भाग वाके ग्राम चाँदपुर के बाबत वादीगण को 1/3 भाग संभाग में व तर0प्रतिवादीगण सं0 7 लगा0 11 को संभाग में 1/3 भाग एवं तर0प्रतिवादी सं0 12 को 1/3 भाग का विनिमय के आधार पर खातेदर काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे एवं इसी कदर ख0नं0 1826/0.03 है0 वाके ग्राम चाँदपुर के बाबत हाल राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे वादीगण एवं तर0प्रतिवादीगण के पूर्वज रामजीलाल, लक्ष्मीनारायण पि0 जगराम संभाग 2/3 एवं वादीगण अनिल कुमार, विजय कुमार पि0 कौशल किशोर 1/3 भाग के नाम नाम से हो रहे अंकन को कलमजन किये जाने एवं ख0नं0 1683/0.09 है0, 1684/0.012 है0 के 1/4 भाग वाके ग्राम चाँदपुर के बाबत राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे मदनलाल व बाबूलाल के नाम के अंकन को व ख0नं0 2063/0.01 है0 के 1/2 भाग वाके ग्राम चाँदपुर के बाबत राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे यादराम पुत्र गंगासहाय के नाम के अंकन को कलमजन किये के आदेश दिये जाते हैं।

खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करेगें।

यह पर्चा डिकी आज दिनांक 14.06.2022 को मेरे [illegible] जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गयी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.07.05 13:34:51 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज [illegible]जर)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0